Website Link: prgi.gov.in

610/93/सीवीसी पोर्टल/2023-24/एनपीसीएस (भाग)

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110003

दिनांकः 28.03.2025

2025 की एडवाइजरी संख्या 6

विषयः- प्रसार सत्यापन (सी.वी.) प्रमाण पत्रों की वैधता 30.06.2025 तक बढ़ाने के संबंध में।

भारत सरकार ने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका का पंजीकरण अधिनियम (पी.आर.पी. अधिनियम), 2023 और इसके नियमों को राजपत्र में अधिसूचित किया है और इसके परिणामस्वरूप 01 मार्च, 2024 से यह अधिनियम/नियम लागू हुए हैं। पी.आर.पी. अधिनियम की धारा 6(ख) के अनुसार भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) यथा निर्धारित रूप में तथा उद्देश्य के लिए नियतकालिक पत्रिका के प्रसार आंकड़ों का सत्यापन कर सकते हैं।

2. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि **डेस्क ऑडिट के माध्यम से नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रसार सत्यापन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों** को वर्तमान में और संशोधित किया जा रहा है ताकि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके तथा इसका सूचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि **उन समाचारपत्रों की प्रसार सत्यापन प्रमाण पत्र की वैधता 30.06.2025 अथवा नए प्रसार सत्यापन (सी.वी.) प्रमाण पत्र जारी होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है, जिन्होने (2024 की एडवाइजरी संख्या 32 और 2025 की एडवाइजरी संख्या 1 के अनुसार) भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) को प्रसार सत्यापन (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए आवेदन किया है।**

इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)

उप प्रेस महापंजीयक